मेडिकल कालेजों को फीस और स्टाइपेंड करना होगा सार्वजनिक

अभिषेक राव● नईदुनिया

- एनएमसी ने सात दिन में विवरण अपलोड करने के दिए निर्देश
- आदेश की अनदेखी पर जुर्माना व मान्यता रद जैसी होगी कार्रवाई

रायपुर: प्रदेश के सभी शासकीय, निजी और डीम्ड मेडिकल कालेजों को अब छात्रों से ली जाने वाली फीस और स्टाइपेंड (छात्रवृत्ति) की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने इस संबंध में सभी संस्थानों को सात दिनों के भीतर विषयवार विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश की अनदेखी पर जुर्माना, कोर्स की मान्यता रद करना और प्रवेश पर रोक जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

प्रतीकात्मक चित्र।

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और सीबीआइ की हालिया छापेमारी के बाद जारी किए गए हैं, जिसमें कई निजी मेडिकल कालेजों द्वारा निर्धारित से अधिक शुल्क वसूलने के मामले सामने आए थे। एनएमसी का यह कदम छात्रों और अभिभावकों को स्पष्ट जानकारी देने, आर्थिक शोषण से बचाने और संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

साइट पर देनी होगी जानकारी

एनएमसी ने सभी मेडिकल कालेजों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर गूगल फार्म के माध्यम से विषयवार ट्यूशन फीस, ह्रास्टल शुल्क, काशन डिपाजिट, इंटर्न, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स को दी जाने वाली स्टाइपेंड की जानकारी सार्वजनिक करें।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्री-काउंसलिंग चरण में ही निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों को सभी प्रकार की फीस और शुल्कों की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा, ताकि छात्रों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो।